

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 58/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री प्रद्युम्न शर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
निवासी कागजी देवरा, महावती पाड़ा
जिला बून्दी (राज0)

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी
अधिकारी (न्याय) एवं अति0
जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 03.08.2022



अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 26.05.2022 को आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ एक आवेदन दिनांक 18.04.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया किन्तु आवेदन से वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा से संबंधित होने से उक्त आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अंतरित कर दिया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक न्याय/2022/23631 दिनांक 13.07.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन से चाही गयी सूचना/जवाब न्याय अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्रांक 23120 दिनांक 09.05.2022 से अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 03-08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा